# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

## (कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail–pccfwl@mp.gov.in

**प्रेस विज्ञप्ति (82/26, दिनांक 28.10.2026)**

## दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन के अवयवों की तस्करी एवं अवैध व्यापार में शामिल आरोपी की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर द्वारा निरस्त

माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश द्वारा आरोपी मुकेश कुमार विश्वकर्मा, निवासी ग्राम डोंगरगंवा तहसील एवं थाना बिलासपुर जिला उमरिया, द्वारा दायर तृतीय नियमित जमानत याचिका क्र. BA-3190/2026 निरस्त कर दी गयी है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.06.26 को कटनी जिले के ग्राम झिन्ना पिपरिया, खमतरा-ढीमरखेड़ा रोड पर घेराबंदी कर 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 4.4 किलोग्राम पेंगोलिन की शल्क (स्केल्स), 01 मोटर साइकिल, 01 नग चार पहिया वाहन सिट्रान सी-3 जप्त कर, वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/24 दिनांक 08.06.2026 दर्ज किया गया था । दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची प्रथम के तहत संरक्षित है। गिरफ्तार आरोपी मुकेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय मे जमात याचिका (क्र. BA-3190/2026) दायर कि थी, माननीय न्यायालय ने स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई जबलपुर द्वारा की गई सटीक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर संगठित गिरोह द्वारा दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन के स्केल्स की तस्करी को अति गंभीर और संवेदनशील माना, माननीय न्यायालय ने यह भी माना कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-51(क) अंतर्गत आवेदक के निर्दोष होने के संबंध में विश्वास किये जाने का आधार नहीं है। अतः बीएनएसएस की धारा-483 के तहत आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका निरस्त की गई। उक्त प्रकरण के सभी आरोपी दिनांक 12.06.2026 से जबलपुर जेल मे निरुद्ध हैं।

अधिकृत अधिकारी
कार्या० प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएफएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल